



2026:AHC:7180

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 19360 वर्ष 2025

सोनू सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: देवोत्तम पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवोत्तम पांडे और राज्य के ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था हालांकि, उसने चौथे प्रतिवादी, सेना नायक, 26वीं वाहिनी, पी.ए.सी. उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष 17.11.2025 को एक त्यागपत्र पत्र दिया है, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लिया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर चौथे प्रतिवादी, सेना नायक, 26वीं वाहिनी, पी.ए.सी. उत्तर प्रदेश, गोरखपुर द्वारा विचार किया जाएगा।
4. बार में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक चौथे प्रतिवादी, सेना नायक, 26वीं वाहिनी, पी.ए.सी. उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तत्पश्चात, चौथा प्रतिवादी दो माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।